राज्यपाल सचिवालय

राजभवन, जयपुर

राज्यपाल श्री मिश्र ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को लिखा पत्र

नियुक्ति प्रक्रियाओं का पालन नहीं किए जाने पर जताई नाराजगी

जयपुर, 16 फरवरी। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने राज्य सरकार के स्तर पर विभिन्न आयोगों, निगमों, बोर्ड आदि के गठन और इन संस्थाओं में पदाधिकारियों की नियुक्ति में संबंधित अधिनियम , परिनियम एवं नियमावली में प्राविधानित नियुक्ति प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है।
उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने के भी निर्देश दिए हैं।

उन्होंने इस संबंध में हाल ही में जारी नियुक्ति आदेशों में राजभवन स्तर पर किसी प्रकार का कोई अनुमोदन प्राप्त किए बगैर नियुक्ति आदेश जारी किए जाने पर भी नाराजगी जताई है।
राज्यपाल श्री मिश्र ने मुख्यमंत्री श्री गहलोत को लिखे पत्र में इसे गंभीरता से लेने और प्रकरण में स्थिति स्पष्ट किए जाने के निर्देश दिए है।

संविधान के अनुच्छेद 150 एवं डी.पी.सी. एक्ट 1971 के सेक्शन 10 के संदर्भ में विस्तृत परीक्षण करवाने के दिए निर्देश

पे एंड अकाउंट ऑफिस सिस्टम लागू करने के संबंध में मांगा जवाब

जयपुर, 16 फरवरी। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर वर्तमान में लागू ट्रेजरी सिस्टम के स्थान पर पे एण्ड अकाउंट ऑफिस सिस्टम लागू करने के संबंध में विस्तृत जानकारी चाही है।

मुख्यमंत्री श्री गहलोत के लिखे पत्र में राज्यपाल श्री मिश्र ने वर्तमान में लागू ट्रेजरी सिस्टम के स्थान पर पे एंड अकाउंट ऑफिस सिस्टम के संबंध में उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त 9 फरवरी 2023 के पत्र की प्रति भेजकर संविधान के अनुच्छेद 150 एवं डी.पी.सी. एक्ट 1971 के सेक्शन 10 के संदर्भ में विस्तृत परीक्षण कर राज्य सरकार की मंशा से अवगत कराने के भी निर्देश दिए हैं।